

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 262020
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0-102-09/2012

पटना, दिनांक:- 16/02/16

प्रेषक,

राजीव कुमार,
परियोजना पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु सभी पात्र लाभुकों का विवरण <http://www.rddbihar.in/joy/> पर अपलोड करने के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-246260 दिनांक-09.09.15 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत चयनित सभी पात्र लाभुकों का विवरण ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से <http://www.rddbihar.in/joy/> पर दिनांक 10.09.15 तक अपलोड करने का निदेश दिया गया था, किन्तु इस संबंध में अबतक कोई अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है । प्रासंगिक विभागीय पत्र के द्वारा अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया भेजी गई थी । योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों का विवरण अपलोड नहीं होने के कारण योजना का कार्यान्वयन समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है ।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों का शत-प्रतिशत विवरण उपर्युक्त वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन



(राजीव कुमार)

परियोजना पदाधिकारी

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

09

पत्रांक 246260
उत्तरांचल - 5/50 आ/02-09/2012

पटना, दिनांक 09/09/15

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप-विकास आयुक्त,
सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारी
सभी ग्रामीण आवास-पर्यवेक्षक ।

विषय :- मुख्यमंत्री इन्दिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के समग्र प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु सभी पात्र लाभुकों का विवरण SAAS (Software as a Solution) वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय पत्रांक 198808 दिनांक 01.09.2014 एवं पत्रांक 221822 दिनांक 24.02.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है मुख्यमंत्री इन्दिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के समुचित प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा SAAS वेबसाईट का निर्माण किया गया है। विदित है कि मुख्यमंत्री इन्दिरा आवास जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत दिनांक 01.04.2004 के पूर्व लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिटल स्तर तक निर्मित किन्तु छत निर्माण नहीं किये जाने के कारण अपूर्ण/अधूरे आवासों को पूर्ण कराने हेतु प्रति लाभुक 30,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री इन्दिरा आवास जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त लाभुकों के आवासों का निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करने हेतु सभी जिलों में पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायकों कार्यरत है। उन्हें इंटरनेट सुविधा युक्त सिम कार्ड, Andriod Based मोबाईल, GPS Based MMS सॉफ्टवेयर एवं तत्संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। लाभुकों के आवासों का फोटो अपलोड करने हेतु यह आवश्यक है कि लाभुकों का विवरण ग्रामीण आवास सहायक के मोबाईल में उपलब्ध GPS Based MMS सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो तथा इसके लिए जिला एवं ब्लॉक में संधारित लाभुकों का विवरण SAAS वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। विभागीय पत्रांक 221822 दिनांक 24.02.2015 के द्वारा Website Developer को उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों से पात्र लाभुकों का विवरण Excel Format में मांगा गया था परंतु कुछ जिलों को छोड़ कर विहित प्रपत्र में लाभुकों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रखण्ड मुख्यालय में संधारित मुख्यमंत्री इन्दिरा आवास जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत चयनित सभी पात्र लाभुकों का विवरण ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से <http://www.rddbihar.in/joy> पर दिनांक 10.09.2015 तक अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। पात्र लाभुकों का विवरण अपलोड एवं अद्यतन करने हेतु ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के मोबाईल पर Password भेजा जाएगा। विहित प्रपत्र Download एवं उसे वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रक्रिया की जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर Video फॉर्मेट में उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 3.9.15
सचिव

जापंक 246260

प्रतिलिपि:- आस सचिव, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- IT Manager ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

दिनांक 09/09/15

Pankaj

9/6

